

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 131

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का उपयोग

131. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बैंकिंग पहुंच को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से कम बैंकिंग सुविधा वाले गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में कितनी वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) का उपयोग किया गया है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिलों के संबंध में विशिष्ट ब्यौरे क्या हैं;
- (ख) तेलंगाना के जिलों में उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां एफआईएफ योजना के माध्यम से माइक्रो एटीएम, बैंकिंग करेस्पोंडेंट और मोबाइल बैंकिंग वैन तैनात किए गए हैं;
- (ग) क्या एफआईएफ योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण ग्राहकों के सामने आने वाली सेवा वितरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) अल्पसेवित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए बैंकों को अनुदान सहायता प्रदान करती है। यह निधीयन बुनियादी बैंकिंग ढांचे में सुधार करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने वाले नवोन्मेषी मॉडल की सहायता करने में मदद करती है, जिससे अखिल भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार होता है। एफआईएफ के जिला-वार उपयोग का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में एफआईएफ के अंतर्गत सवितरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

						(रुपये लाख में)
राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
आंध्र प्रदेश	258.73	881.20	1102.81	918.07	863.80	4024.62
तेलंगाना	657.44	608.37	478.92	611.24	248.84	2604.81
देश	14114.69	14809.46	15868.39	19259.39	19157.87	83209.80

स्रोत: नाबार्ड

एफआईएफ के उपयोग का ग्राम पंचायत-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एफआईएफ से तेलंगाना राज्य में कुल 22 मोबाइल वैन और 1565 माइक्रो एटीएम का अभिनियोजन किया गया है।

(ग) और (घ) ग्राहक किसी भी सहायता के लिए ग्राहक सेवा नंबरों और बैंकों के ऑनलाइन पोर्टलों से संपर्क कर सकते हैं और संबंधित बैंक शाखाओं को सीधे अपने मुद्दों को भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडल ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करते हैं। यदि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में अभाव की शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर नहीं दिया जाता है, तो ग्राहक "रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" से संपर्क कर सकता है जो शिकायतों का लागत-मुक्त निवारण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पास वेब-आधारित पोर्टल, अर्थात् केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) है, जिसमें नागरिक भारत सरकार के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
